भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1136

दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को उत्तर के लिए

बाल कल्याण समिति

***1136. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बाल देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा विनियामक निरीक्षण को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाल देखभाल गृह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए लाइसेंसिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करें;

(ग) क्या सरकार को बाल राज्यों में कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) के खोए हुए विवरण और अपर्याप्त दस्तावेज की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाल कल्याण समितियों के कार्यकरण की नियमित समीक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ख) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) (2021 में यथा-संशोधित) का संचालन कर रहा है, जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक

कानून है। यह बच्चे के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखभाल और सुरक्षा के मानकों को परिभाषित करता है। जेजे अधिनियम 2015 के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को उनके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के कार्य की निगरानी करने का अधिदेश दिया गया है। इसी प्रकार, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) को कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 74 (1) किसी भी जांच या जांच या न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार-पत्र या ऑडियो-विजुअल मीडिया या संचार के अन्य रूपों में किसी भी रिपोर्ट के प्रकाशन और नाम, पते या स्कूल या कोई अन्य जानकारी, जिससे कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान हो सकती है का खुलासा करने पर रोक लगाती है। ऐसे प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों दिए जा सकते हैं।

जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 41 में अधिदेशित है कि आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सभी संस्थान, जो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से आश्रय देने के लिए हैं, उन्हें पंजीकृत किया जाएगा चाहे उन्हें केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से अनुदान मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। ऐसे प्रावधान का पालन करने में विफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के प्रभारी को अधिनियम की धारा 42 के तहत कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के बीच पूर्वनिर्धारित लागत सहभाजन के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से मिशन वात्सल्य योजना लागू कर रहा है।

(ग) से (ड.) : राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन वात्सल्य पोर्टल बनाया गया है जिसका उपयोग राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (एससीपीएस), जिला

बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, सीसीआई, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा सभी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और दस्तावेज़ीकरण उद्देश्य के लिए संबंधित डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। ।

मंत्रालय नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ संपर्क रखता है और उन्हें विभिन्न सलाह जारी की गई हैं ताकि मिशन वात्सल्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र की वास्तविक समय निगरानी के लिए 2022 में निर्बाध निरीक्षण के लिए एक एप्लिकेशन 'एमएएसआई' - मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन विकसित किया है। जेजे अधिनियम, 2015 के तहत बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए तंत्र की प्रभावी और कुशल कार्यप्रणाली की व्यवस्था की गई है।

हालाँकि, मंत्रालय को गुम हुई (मिसिंग) प्रोफाइल का कोई दृष्टांत प्राप्त नहीं हुआ है।

*****